प्रेस नोट, जालौन पुलिस

दिनांक – 01.02.2024

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना एट पुलिस टीम द्वारा युवती की हत्या की घटना का करीब 60 घण्टे में सफल अनावरण कर पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 29.01.2025 को एक युवती परीक्षा देने के लिए थाना चुर्खी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नसीरपुर में स्थित डिग्री कॉलेज गयी थी परन्तु परीक्षा देकर घर वापस नही आय़ी थी जिसके संबन्ध में युवती के फूफा की तहरीर के आधार पर दिनांक 29.01.2025 को थाना एट में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। दिनांक 30.01.2025 को उपरोक्त युवती थाना एट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अमीटा को जाने वाली सड़क के किनारे नहर पट्टी के पास झाडियों में मृत अवस्था में मिली थी इस सूचना के आधार पर थाना एट पुलिस द्वारा मृत्तिका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम कराया गया था तथा फॉरेंसिक टीम द्वारा भौतिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी थी एवं वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल थाना एट में मु0अ0सं0 16/25 धारा 140(1)/70(1)/103(1)/238 बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा घटना को गम्भीरता से लेते हुये घटनास्थल का निरीक्षण किया था तथा महिला अपराध घटना की गम्भीरता को देखते हुये घटना के सफल अनावरण हेतु एसओजी, सर्विलांस सहित थाना पुलिस की कुल 07 टीमों को लगाया गया था।

अभियोग में अज्ञात व्यक्ति की पहचान व गिरफ्तारी हेतु मुखबिर मामूर किए गए थे। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन व व्यक्तियों से की गयी पूछताछ के आधार पर अज्ञात व्यक्ति की पहचान मनीष अहिरवार पुत्र बीरेंद्र अहिरवार निवासी छिरावली थाना कोटरा जनपद जालौन के रूप हुयी। मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्त मनीष अहिरवार पुत्र बीरेंद्र अहिरवार उम्र करीब 30 वर्ष निवासी छिरावली थाना कोटरा जनपद जालौन एट धुरट रोड में टिकरिया नहर के पास मौजूद है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये एसओजी/सर्विलांस व थाना एट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखविर के बताये पते पर पहुंचे, पुलिस को अपनी ओर आता देख घटना में संलिप्त अभियुक्त मनीष अहिरवार उपरोक्त द्वारा पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया जिसके बचाव में पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ हेतु जबाबी फायर किया,

जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त मनीष अहिरवार उपरोक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। मानवता दृष्टिकोण अपनाते हुये घायल/गिरफ्तार अभियुक्त मनीष अहिरवार उपरोक्त को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है।

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 29.01.2025 को मैं एक टैम्पो मे बैठा था जिस पर एक युवती बैठी थी जब वह ग्राम अमीटा जाने वाले रास्ते पर टैम्पो से उतरी तो मै भी टैम्पो से उतरकर उसके पीछे चल दिया और सुनसान जगह पर गलत नियत से पकड़ लिया जिस पर वह चिल्लाने लगी तो मैने उसका मुंह दबाया और एकान्त में ले जाने लगा जिस कारण उसकी मृत्यु हो गयी और मैं उसको सड़क किनारे नहर पट्टी के पास झाडियों में डाल कर भाग गया था।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा घटना का सफल अनावरण करने वाली टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25000/- रूपये का नगद पुरूस्कार दिया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. मनीष अहिरवार पुत्र बीरेंद्र अहिरवार उम्र करीब 30 वर्ष निवासी छिरावली थाना कोटरा जनपद जालौन

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर
2. 02 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना एट मय टीम जनपद जालौन।
2. प्रभारी एसओजी/सर्विलांस सेल मय टीम जनपद जालौन।